ग्राम पंचायत उरला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उरला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती कविता देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती रेखा देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कमरू नाग (नाग)	01.04.13 से 16.07.15
2	श्री जीत कुमार	17.07.15 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत उरला के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
1	7	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	0.12
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	14.58
3	9	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	0.30
4	10	प्राप्त अनुदान को रोकड़वही में न दर्शाना	0.68
5	12	व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.28
6	13	मनरेगा रोकड बही में अनियमित रूप से व्यय को दर्शाना	0.12
7	14	स्टॉक/स्टोर के क्रय में निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण न करना	0.64

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत उरला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2016 से 08.06.2016 एवं 13.06.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 05/13, 9/14, 07/15 एवं 02/14, 04/14 एवं 12/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत उरला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 089/2016 दिनांक 13.06.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उरला से अनुरोध किया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत उरला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण विस्तृत रूप में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–I एवं II** में दिया गया है।

परिशिष्ट–I स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदान

परिशिष्ट–II मनरेगा

(ख) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना परिणाम स्वरूप दिनांक 31.3.16 को ₹16732.45 का भारी अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था परन्तु ग्राम पंचायत, उरला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत

द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप रोककड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेषों में दिनांक 31.3.2016 को ₹16732. 45 (1989277.00–1972544.55) का भारी अन्तर था जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "III"** में दिये गये विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेंख एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.12 लाख की वसूली शेष थीः–

मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	12000	12000	8000	4000
2014–15	4000	4000	8000	–	8000
2015–16	8000	4000	12000	–	12000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹14.58 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–IV)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1457586 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्राप्त अनुदान से ₹0.30 लाख का अधिक व्ययः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रदत्त सूचना अनुसार पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को पंचायत द्वारा एम0पी0एल0ए0डी0 से प्राप्त कुल अनुदान में राशि ₹29710/– का अधिक व्यय किया गया है, जबकि प्राप्त अनुदान राशि के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार व्यय को प्राप्त अनुदान की राशि तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः कुल प्राप्त अनुदान राशि में से अधिक व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस निधि से किया गया है बारे स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि वसूली दोषी व्यक्तियों से करने उपरान्त उक्त निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

10 प्राप्त आय/अनुदान ₹0.68 लाख को रोकड़ बही में न दर्शानाः–

ग्राम पंचायत, उरला द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं बैंक पास बुकों तथा रोकड़ बहियों के मिलान में पाया गया कि पंचायत के बैंक खाते में (सामान्य रोकड़ बही) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹67465/– जमा था, किन्तु पंचायत द्वारा इस राशि को रोकड़बही के आय पक्ष में नहीं लिया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	जमा राशि
1	18.09.2014	25125
2	17.03.2015	12390
3	14.05.2015	29950
	योग	**67465**

अतः इस राशि को रोकड़बही में न लेने बारे स्पष्टीकरण देते हुये इस राशि को यथाशीघ्र रोकड़बही में आय पक्ष में दर्ज किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। चयनित माह में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 ₹0.28 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत उरला के चयनित मासों के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि माह 04/2014 (वर्ष 2014–15) में सामान्य रोकड़ बही से ₹27740/–का भुगतान श्री कुशल चन्द, गाँव सनोहली, डाकघर उरला के पक्ष में सराय देव पशाकोट के निर्माण हेतु शटरिंग उपलब्ध करवाने के एवज में दर्शाया गया है, किन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित बिल जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। अतः इससे सम्बन्धित बिल आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करने उपरान्त पंचायत में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

13 मनरेगा रोकड़ बही में ₹0.12 लाख को अनियमित रूप से व्यय के रूप में दर्शानाः–

ग्राम पंचायत की मनरेगा की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि माह 01/2015 में रोकड़ बही का अन्त शेष ₹11468/–था, एवं माह 02/2015 में रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 56 में इस राशि को व्यय पक्ष में दर्शाकर रोकड़बही का अन्तशेष शून्य दर्शा दिया गया था। अंकेक्षण द्वारा इस व्यय के सन्दर्भ में बिल/वाउचर प्रस्तुत करने हेतु पूछने पर बताया गया कि

रोकड़ बही में यह राशि व्यय पक्ष में बैंक पास बुक तथा रोकड़ बही के मिलान हेतु दर्शाई गई है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः इस राशि को व्यय पक्ष में दर्शाने बारे सम्पूर्ण अभिलेख सहित अवगत करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से करने उपरान्त मनरेगा खाते में जमा कराई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 ₹0.64 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किए करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67, 69, 70, 71 एवं 72 में स्टॉक/स्टोर के क्रय से लेकर उसकी प्राप्ति रख रखाव एवं आगगामी वितरण से सम्बन्धित औपचारिकताओं का प्रावधान किया गया है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा चयनित मासों ₹64128/– का व्यय निम्नविवरणानुसार किया गया है किन्तु इनके क्रय, प्राप्ति, रख रखाव एवं आगामी वितरण में उक्त नियमों/प्रावधानों की पूर्णतः अनदेखी की गई है, जिसके अभाव में उक्त व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर के क्रय, रख रखाव एवं आगामी वितरण में की गई अनियमितताओं बारे स्पष्टीकरण देते हुये भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, रख रखाव एवं आगामी निपटारा/वितरण सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रोकड़ बही का विवरण	वाउचर क्रमांक	माह	फर्म/विक्रेता का विवरण	राशि (₹)	क्रय वस्तु का विवरण
1	सामान्य	14	04/14	मै0 चर्तुभुजा प्रिंटिंग प्रैस पधर 1649/15.04.14	8760	स्टेशनरी
2	सामान्य	15	04/14	–यथोपरि– 1650/15.04.14	3665	स्टेशनरी
3	सामान्य	16	04/14	मै0 चौहान कम्यूनिकेशन, पधर 280/शून्य	2148	डाटा कार्ड
4	सामान्य	80	12/15	रन्जीत सिंह, पाली 100/10.01.15	12200	रेत व बजरी
5	सामान्य	81	12/15	रेत बजरी का ढुलान	12000	ढुलान का व्यय
6	सामान्य	82	12/15	सीमेन्ट ढुलान	1800	
7	सामान्य	21	04/14	पृथी चन्द, उरला	1250	सीमेन्ट ढुलान
7 (a)	सामान्य	84	12/15	खजाना राम, थल्टू खोड	5000	ईटों का ढुलान

8	सामान्य	86	12/15	चर्तुभुजा प्रिंटिग प्रैस, पधर 940/05.12.15	1560	स्टेशनरी
9	सामान्य	80	12/15	रन्जीत सिंह, पाली 062/24.11.15	7050	रेत बजरी का क्रय
10	सामान्य	90	12/15	–यथोपरि– 098/12.11.15	8645	–यथोपरि–
				योग	**64128**	

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार नहीं किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविधः–

(क) पंचायत द्वारा माह 04/2014 में सामान्य रोकड़ बही से वाउचर संख्या 2 द्वारा सोम इन्जनीयरिंग एवं कन्स्ट्रक्शन से उनके बिल संख्या 238 दिनांक 05.02.2013 द्वारा 136 cft रेत का क्रय ₹35.00 प्रति cft की दर पर किया गया है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु दी गई निविदाओं अनुसार न्यूनतम दरें ₹30/– प्रति cft थी। अतः इस प्रकार पंचायत द्वारा ₹5.00 प्रति cft की दर से फर्म को अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस प्रकार ₹680 के अधिक भुगतान की वसूली दोषी से करने उपरान्त जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा ₹5000/– का भुगतान सामान्य रोकड़ बही से माह 12/2015 में वाउचर संख्या 84 द्वारा श्री खजाना राम, गांव मंदरखाण, डाकघर भल्टूखोड़ को सराय देव पशाकोट के निर्माण हेतु 5000 नं0 ईटों के ढुलान हेतु दर्शाया गया है, किन्तु ढुलान जिन ईटों का किया गया है। उसके क्रय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस अनियमित रूप से व्यय की गई ₹5000/– की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बही के रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(11) 1/2016–खण्ड–1–6572–6575 दिनाँकः 16.12.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत उरला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.